समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

विश्व योगा सम्मेलन मुंगेर में दिनांक 23.10.2013 से 27.10.2013 तक निर्धारित है इस आयोजन के मद्देनजर किला परिसर के अन्दर अधोलिखित पथों का मरम्मति करांने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुगेर के पत्रांक 1053 दिनांक 07.10.2013 द्वारा तकनिकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन की राशि पर मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत कार्य हित में जिला संचालन समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय मार्ग दर्शन के आलोक में दी जाती है। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मुंगेर को विशेष परिस्थिति में कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि विभागीय मार्ग दर्शिका के आलोक में स्थानीय प्रचार प्रसार के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियो के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

योजना के कार्यान्वयन के लिये 50% की राशि भी विमुक्त की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत पूर्व के योजना के अवशेष राशि मो0–246414.00 (दो लाख छियालीस हजार चार सौ चौदह) रू0 को अधोलिखित योजना के कार्यान्वयन में समायोजित भी करना सुनिश्चित करेंगे।

क0 सं0	योजना का नाम	नगर निकाय का नाम	तक0 स्वी0 की राशि	प्रशा0 स्वी0 की राशि	प्रथम किस्त के रूप मे विमुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1	चरण पादुका दक्षिणी एवं उत्तरी पथ का मरम्मति कार्य	नगर निगम, मुंगेर।	485200.00	485200.00	242600.00
2	जेल गेट से उत्तरी किला गेट तक पथ का मरम्मति कार्य	नगर निगम, मुंगेर।	862200.00	862200.00	431100.00
3	उत्तरी किला गेट से परिसदर गेट तक पथ का मरम्मति कार्य	नगर निगम, मुंगेर।	999300.00	999300.00	499600.00
4	मुंगेर योगा गेट से संग्राहालय गेट एवं पोलो मैदान पूर्वी उत्तरी कार्नर से पूर्वी किला गेट तक पथ का मरम्मति कार्य	नगर निगम, मुंगेर।	616500.00	616500.00	308200.00
		योग–	2963200.0	2963200.00	1481500.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0– 1481500.00 (चौदह लाख एकासी हजार पांच सौ) रू0 मात्र।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिर्षटियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
5. द्वितीय किस्त की राशि तभी विमुक्त किया जायेगा जब पूर्व से विमुक्त की गई राशि का 60% व्यय करेंगे व्यय होने के पश्चात मैट पेपर पर योजना का रंगीन फोटोग्राफ के साथ एम0बी0 की सत्यापित छायाप्रति सहित अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा।
6. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।

7. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर साईन बोर्ड कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
8. योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक फोटो रंगीन मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
9. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
10. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
11. कार्यकारी एजेंसी इस योजना मे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सूनिश्चित कर लेंगे कि योजना का स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 15 (मु०व्य)/जि०यो०, दिनांक 7/10/13

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक जिला योजना कार्यालय से प्राप्त कर लें।

प्रतिलिपि– नाजिर जिला योजना कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मुंगेर को उपलब्ध करा दे।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।